न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/2017

भजनलाल पुत्र केसराराम जाति मेघवाल निवासी 58 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलांट

बनाम

1. जानी देवी पत्नी हेतराम
2. सुलोचना पुत्री हेतराम
3. मायादेवी पुत्री हेतराम

जाति मेघवाल निवासीगण 58 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

——रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर

दिनांक 09.01.2017

उपस्थितिः—

श्री राधेश्याम बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट

श्री अजीत कुमार, अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 03.11.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत पेश कर चक 58 एनपी के मु.नं. 16 के कि.नं. 5 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। उक्त प्रा.पत्र दिनांक 02.03.2015 को खारिज कर दिया एवं इस न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अप्रार्थीगण को प्रा. पत्र पेश करने के लिये स्वतंत्र होना जाहिर

3/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने आदेश दिनांक 09.01.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसके लिये अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अपीलांट बार.–बार न्यायालयों में रास्ता स्वीकृत करने हेतु चाराजोही कर रहा है। लेकिन अधी. न्यायालय ने अपीलांट की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखे बिना ही प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है जो अपीलाधीन आदेश से साबित है। अपीलांट जानबूझ कर रेस्पों. को तंग व परेशान करने के लिये प्रा.पत्र एवं अपील पेश कर रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किये जा चुके हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 09.01.2017 के विरूद्ध पेश हुई जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की वजह से नया रास्ता स्वीकृत न कर प्रा.पत्र खारिज किया है जबकि वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होने से अधी. न्यायालय ने गलत ढंग से प्रा.पत्र खारिज किया है। अतः नया रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा है। अधी.

3/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर से वैकल्पिक रास्ता बाबत लिखित quary की जिसका तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र कमांक 292 दिनांक 06.09.2017 द्वारा जबाब दिया है कि " भजनलाल पुत्र केसराराम मेघवाल के नाम से दर्ज रिकार्ड है एवं कि.नं. 5 जानी देवी पत्नी हेतराम, सुलोचना–मायादेवी पुत्रियां हेतराम के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। कि. नं. 1 ता 5 में पक्का खाला बना हुआ है तथा कि.नं. 5 से 25 की ओर पक्की सडक बनी हुई है। भजनलाल को उसके खेत में जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है मौका पर कि.नं. 10–11–20–21 में फसल खडी है वैकल्पिक रास्ता का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया है। भजनलाल पुत्र केसराराम जब खेत खाली होता है तभी आना जाना करता है। भजनलाल अपने खेत में कभी गांव की ओर से और कभी मु.नं. 15 में से तो कभी चक 56 एनपी के मुरब्बा में से आना जाना करता है। जब खेत खाली होता है। घरेलू कार्य हेतु भजनलाल खाले की पटरी से कि.नं. 5 की तरफ से सडक द्वारा आना जाना करता है। रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। " तहसीलदार की मौके रिपोर्ट अधी. न्यायालय के निर्णय से controdictory है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता को मध्यनजर रख धारा 251ए के प्रावधानों एवं इसकी कियान्विति के लिये बने नियमों की परीधि में नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

3/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर